

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5521

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 2013/फाल्गुन 18, 1934

No. 552]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 2013/PHALGUNA 18, 1934

स्थम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013

का.आ. 595(अ).— केन्द्र सरकार, खादी और ग्रामोद्योग नियमावली, 2006 के नियम 15 के साथ पिठत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना का.आ. 2231 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 19 से 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-

क्र.सं.	नाम /पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	नियुक्ति की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
"19.	सचिव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, हरियाणा सरकार (उत्तरी क्षेत्र)	सदस्य	9 सितम्बर, 2013 तक
20.	सचिव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, नागालैण्ड सरकार (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	सदस्य	9 सितम्बर, 2013 तक

सचिव, प्रभारी,	KIND OF THE RESERVE	
खादी और ग्रामोद्योग.	सदस्य	19 मार्च, 2013 र
मध्य प्रदेश सरकार (मध्य क्षेत्र)		9 सितम्बर, 2013
सचिव, प्रभारी,		तक
खादी और ग्रामोद्योग,	तिवस्य	9 सितम्बर, 2013
पश्चिम बंगाल सरकार (पूर्वी क्षेत्र)		तक
सचिव, प्रभारी,	Tiern	
खादी और ग्रामोद्योग,	11444	9 सितम्बर, 2013
महाराष्ट्र सरकार (पश्चिमी क्षेत्र)		। तक
सचिव, प्रभारी,	सदस्य	O Programme
खादी और ग्रामोद्योग,	11474	9 सितम्बर, 2013
		तक
- "Mig 일 없는 것이 없어요. " [이 전] 가지 않는 사람이 있다면 보고 있다면 보고 있다면 되었다면 되었다면 보고 있다면 보고 있	सदस्य	19 मार्च, 2013 से
खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड,		9 सितम्बर, 2013 स
		तक
(BECONTENTAL MATERIAL CONTENTS OF A STATE AND A STATE OF A	सदस्य	19 मार्च, 2013 से
खोदा और ग्रामीद्योग बोर्ड,	1514	9 सितम्बर, 2013 स
		तक
[18] [전기 전기 전기 전기 전기 전기 기계	सदस्य	9 सितम्बर, 2013
बादा और ग्रामाद्यांग बोर्ड,		तक
[발생 중시계()) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	सदस्य	9 सितम्बर, 2013
बिहार (मर्जी केर)		तक
	सदस्य	9 सितम्बर, 2013
गोवा (पश्चिमी केन)		तक
खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड,	सदस्य	9 सितम्बर, 2013
THE HALL MISS		
	खादी और ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश सरकार (मध्य क्षेत्र) सिचव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, पश्चिम बंगाल सरकार (पूर्वी क्षेत्र) सिचव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, महाराष्ट्र सरकार (पश्चिमी क्षेत्र) सिचव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, कर्नाटक सरकार (दिक्षणी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, असम (पूर्वोत्तर क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश (मध्य क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, विहार (पूर्वी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, विहार (पूर्वी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, विहार (पूर्वी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, गोवा (पश्चिमी क्षेत्र)	खादी और ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश सरकार (मध्य क्षेत्र) सचिव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, पश्चिम बंगाल सरकार (पूर्वी क्षेत्र) सचिव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, महाराष्ट्र सरकार (पश्चिमी क्षेत्र) सचिव, प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग, कर्नाटक सरकार (दिक्षणी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, देल्ली (उत्तरी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, असम (पूर्वोत्तर क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश (मध्य क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश (मध्य क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, विहार (पूर्वी क्षेत्र) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, गोवा (पश्चिमी क्षेत्र)

[फा. सं. 6/6/2010-केवीआई-II] सी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिष्पणी:— प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में दिनांक 13 सितंबर, 2010 के का.आ.सं.2231 (अ) द्वारा तथा अंत में दिनांक 14 जनवरी, 2013 के का.आ.सं. 174(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2013

s.o. 595(E).— exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S. O. 2231(E), dated the 10th September, 2010, namely:-

In the said notification, for serial numbers 19 to 30 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Serial Number	Name/designation	Chairman/ Member	Term of Appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
* 19.	Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Haryana (Northern Zone)	Member	till 9 th September, 2013.
20.	Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Nagaland (North-Eastern Zone)	Member	till 9 th September, 2013.
21.	Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Madhya Pradesh (Central Zone)	Member	with effect from 19 th March, 2013 till 9 th September, 2013.
22.	Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of West Bengal (Eastern Zone)	Member	till 9 th September, 2013.

23.	Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Maharashtra (Western Zone)	Member	till 9 th September, 2013.
24.	Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Karnataka (Southern Zone)	Member	till 9 th September, 2013.
25.	Chairperson, Delhi Khadi and Village Industries Board (Northern Zone)	Member	with effect from 19 th March, 2013 till 9 th September, 2013.
26.	Chairperson, Assam Khadi and Village Industries Board (North Eastern Zone)	Member	with effect from 19 th March, 2013 till 9 th September, 2013.
27.	Chairperson, Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Central Zone)	Member	till 9 th September, 2013.
28.	Chairperson, Bihar Khadi and Village Industries Board (Eastern Zone)	Member	till 9 th September, 2013.
29.	Chairpe on, Goa Khadi and Vine Justries Board (Wester Jone)	Member	till 9 th September, 2013.
30.	Chairperson, Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board (Southern Zone)	Member	till 9 th September, 2013. "

[F. No. 6/6/2010-KVI-II] C. K. MISHRA, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), vide number S.O. 2231 (E), dated the 13th September, 2010 and was last amended vide number S.O. 174(E). dated 14th January, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.